RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

विविध रसद प्रकरण सं. 38/2024

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–

1. श्री सवाईराम पुत्र सोनाराम जाति जाट, निवासी कौशलू, पुलिस थाना सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
2. श्री जुजाराम पुत्र कौशलाराम जाति सुथार, निवासी छोरालिया नाडा खारिया खुर्द, पुलिस थाना आरजीटी, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री विरेन्द्र सिंह असाडा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं बावजुद सूचना उपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 16.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.09.2021 को श्री शुभकरण आरपीएस वृताधिकारी गुडामालानी ने एक लिखित रिपोर्ट पेश कर थाना हाजा पर प्रकरण दर्ज करवाया कि दिनांक 07.09.2021 को श्री बलदेवराम उनि थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी ने जरिये टेलिफोन थानाधिकारी सिणधरी को सूचना दी कि आज दिनांक 07.09.2021 को दौराने गश्त बलदेवराम थानाधिकारी मय जाब्ता द्वारा सरहद सड़ा से एक लोडिंग टैम्पो नम्बर आरजे 04 जीसी 0676, जिसमें रखी दो प्लास्टिक की टकियों में बायोडीजलनुमा पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। थानाधिकारी सिणधरी से हालात ज्ञात किये तो बताया कि दिनांक 07–09–2021 को श्री बलदेवराम उनि मय जाब्ता श्री उदाराम कानि 1203 के गश्त करते हुए सरहद सड़ा पहुंचे। उक्त कार्यवाही के दौरान एक अशोक

जिला कलक्टर
बालोतरा

लेलेण्ड टेम्पो नम्बर आरजे 04 जीसी 0676 जिसमें दो प्लास्टिक की टंकियां रखी हुई, को लेकर भागते हुए ग्राम सड़ा में सड़क किनारे दुकानों के बीच बने बाड़े में लेकर घुसा जो संदिग्ध प्रतीत होने से पीछा किया गया तो चालक टैम्पो छोड़कर भाग गया। भागते हुए चालक की पहचान हमरा श्री उदाराम कानि 1203 ने सवाईराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी कौशलु पुलिस थाना सिणधरी के रूप में की। जिस पर उक्त टेम्पो को चैक किया गया तो टैम्पों में पीछे बॉडी में दो प्लास्टिक की टंकियां रखी हुई, जिसमें थोड़ा थोड़ा बायोडीजल नुमा पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। टैम्पो में भरे हुए बायोडीजलनुमा पदार्थ का कोई बिल बिल्टी इत्यादि नहीं मिला तथा दोनों टंकियों में डीजल बायोडीजल नुमा तरल पदार्थ भरा हुआ पाया गया। जो सूंघने पर डीजल नुमा गंध आ रही है। टैंपो के पीछे की तरफ बॉडी के बाहर उक्त पदार्थ खाली करने हेतु इलेक्ट्रिक पंप मय नोजल लगा हुआ पाया गया। जिस पर उक्त टंकियों में भरे हुए बायोडीजल नुमा पदार्थ का नाप करने हेतु टैपों पर लगे इलेक्ट्रिक पंप की सहायता से उक्त बायोडीजलनुमा पदार्थ को एक टंकी में लिया जाकर नाप किया गया तो दोनों टंकियों में कुल मिलाकर 310 लीटर बायोडीजल/डीजलनुमा तरल पदार्थ भरा होना पाया गया। उक्त टंकियों में भरे हुए बायोडीजल नुमा पदार्थ में से एक 750 एमएल कांच की बोतल में नमुना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण लिया जाकर सील चेपा युक्त कर मार्क एस अंकित किया गया। इसी प्रकार 750 एमएल बायोडीजनुमा पदार्थ वास्ते कंट्रोल सैम्पल एक अन्य कांच की बोतल में लिया जाकर सील चेपा युक्त का मार्क सी अंकित किया गया। शेष 308.500 लीटर बायोडीजलनुमा पदार्थ उसी एक प्लास्टिक की टंकी में रहने दिया जाकर टंकी के ढक्कम/वाल्व को सील बंद किया जाकर मार्क अंकित किया गया। प्रकरण हाजा में जब्त सुदा वाहन लोडिंग टैम्पो अशोक लेलेण्ड नम्बर आरजे 04 जीसी 0676 मय टैम्पो की बॉडी के पंजीकृत वाहन स्वामी जुजाराम पुत्र कौशलाराम जाति सुधार निवासी हिराणीयो का तला बिसारणियां पुलिस थाना चौहटन जिला बाडमेर से अन्वेषण कर बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये व वाहन मालिक ने अपना वाहन सवाईराम पुत्र सोनाराम को देना बताया तथा जिसका इकरारनाम बाबुलाल पुत्र चुनाराम सुथार निवासी खारिया खुर्द के नाम से है। प्रकरण में अन्वेषण से आरोपी सवाईराम द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के अनाधिकृत रुप से पेट्रोलियम पदार्थ बायोडीजल का संग्रह किया गया है तथा वाहन चालक सवाईराम द्वारा बिना लाईसेस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पदार्थ अपने

कार्यालय जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

कब्जा में रखना, परिहवन करना तथा विक्रय करना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मे जब्तशुदा 310 लीटर बायोडीजल मय लोडिंग टैम्पो अशोक लेलेण्ड नम्बर आरजे 04 जीसी 0676 नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीवद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपरिथत रहा है तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 310 लीटर बायोडीजल राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर व प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सवाईराम पुत्र सोनाराम जाति जाट, निवासी कौशलू, पुलिस थाना सिण्धरी, जिला बालोतरा को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ संग्रह करते हुए पाया गया तथा मौके से ड्रम व कैन में भरे पदार्थ के वारे में पूछने पर अप्रार्थी ने बायोडीजल होना बताया। सूंघने तथा जांच करने पर कुल 310 लीटर बायोडीजल भरा होना पाया गया। उक्त शख्स से बायोडीजल लाने, विना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र होना नहीं वताया गया। साथ ही उक्त जब्तसुदा बायोडीजल नुमा पदार्थ में से एक 750 एमएल कांच की बोतल में नमुना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए तथा प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में "On the basis of Distillation Characteristics the above sample was found to be of petroleum hydrocarbon fractions having density 0-7724 at 15°C and flash point 60°C(Abel)" होना वताया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 310 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

जिला कलक्टर
बालोतरा

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये 310 लीटर कथित बायोडीजल राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात किये गये 310 लीटर बायोडीजल का सार्वजनिक निलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें तथा जिला रसद अधिकारी, बालोतरा इसके लिए सहयोग प्रदान करे। प्रकरण में वाहन अशोक लेलेण्ड टेम्पो नम्बर आरजे 04 जीसी 0676 के स्वामी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत सुपर्दगीनामा निरस्त किया जाता हैं तथा वाहन को जब्ती से मुक्त किया जाता हैं। इस आदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी एवं जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा